15

समक्ष श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर केम्प भोपाल

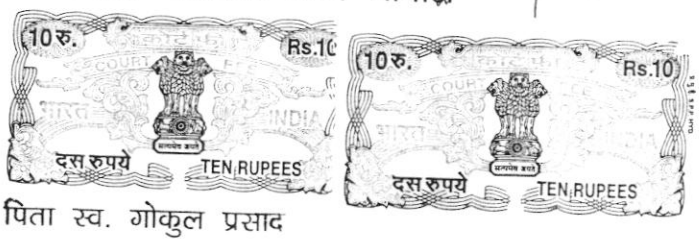

राजेश आयु 37 वर्ष पिता स्व. गोकुल प्रसाद
ग्राम कोटवार झाड़पा तहसील व जिला हरदा.....याचिकाकर्ता

निगरानी-2823/2018/हरदा/भू.रा

बनाम

(1) पुरूषोत्तम उर्फ छोटू पारे आयु करीब 50 वर्ष
पिता स्व. सूरज पारे पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत
झाडपा तहसील व जिला हरदा
हाल निवासी बाहती कालोनी, हरदा
(2) राजस्व निरीक्षक आर.आई.मंडलोई
राजस्व निरीक्षक मगरधा तहसील व जिला हरदा
(3) अशोक आत्मज डालूराम बलाई निवासी
ग्राम झाडपा तहसील व जिला हरदा
(4) रामबाई पुत्री श्री किशन पत्नि गजराज
निवासी मोहनपुर तहसील हरदा जिला हरदा
(5) कृष्णाबाई पुत्री श्री किशन उर्फ श्री हरिजन
पत्नि जुगलकिशोर निवासी सोहागपुर
तहसील टिमरनी जिला हरदा
(6) निरंजन आत्मज शिवनारायण (नाई)
वर्तमान कोटवार ग्राम झड़पा तहसील व जिला.....उत्तरवादीगण

निगरानी धारा अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.राजस्व संहिता –

उपरोक्त याचिका याचिकाकर्ता न्यायालय श्रीमान तहसीलदार महोदय हरदा द्वारा प्रकरण कमांक 2/अ56/1314 में पारित आदेश एवं अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण कमांक 45/अपील/वर्ष13-14 में पारित आदेश दिनांक 19.07.17 तथा आयुक्त नर्मदापुरम् संभाग होशंगाबाद द्वारा प्रकरण कमांक 318/अपील/वर्ष 17-18 में पारित ओदश दिनांक 20.

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ
भाग–अ

प्रकरण क्रमांक निग.–2823/2018 जिला–हरदा

राजेश विरूद्ध पुरूषोत्तम

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
16 –10–18 16.10.18	प्रकरण प्रस्तुत । आवेदक राजेश पिता स्व. गोकुल प्रसाद के द्वारा मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत आयुक्त नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद के प्रकरण क्रमांक 318/अपील/2017–18 में पारित आदेश दिनांक 20.03.2018 से विपरीत प्रभावित होने से प्रस्तुत की गई है। 2/ आवेदक राजेश के अभिभाषक श्री संदीप दुबे को निगरानी मेमों पर ग्राह्यता पर सुना गया। 3/ प्रकरण का सार इस प्रकार है कि ग्राम झड़पा के कोटवार पद पर राजेश पुत्र स्व. गोकुल प्रसाद पदस्थ था। ग्राम के सरपंच के द्वारा प्रस्तुत शिकायत एवं शासकीय कार्यों में लापरवाही के कारण तहसीलदार हरदा द्वारा दिनांक 14.08.2014 को निगरानीकर्ता राजेश को ग्राम कोटवार के पद से पृथक करने के आदेश दिये थे। उक्त आदेश के विरूद्ध निगरानीकर्ता के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी हरदा एवं आयुक्त नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद के यहॉ प्रथम एवं द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई थी, जो अस्वीकार की गई। अपर आयुक्त ने अपने द्वितीय अपील में पारित आदेश दिनांक 20.03.2018 के पैरा 6 एवं 7 में निम्नानुसार टीप अंकित की है– " अपीलार्थी ने अपनी अपील में कई आधार लिये है लेकिन विचारण न्यायालय के आदेश में उल्लेखित तथ्यों का कोई प्रमाणिक खण्डन नहीं किया है । कोटवार गांव में राजस्व शासन का विशेष रूप से राजस्व प्रशासन का अंतिम कड़ी का कर्मचारी होता है, जो कानून का पालन कराने, व्यवस्था बनाने में तथा कानूनी व्यवस्था बनाने के	

प्रति लोगों में आस्था जाग्रत करने में महत्वपूर्ण भूमिका को अदा करता है। इस परिप्रेक्ष्य में कोटवार के रूप में एक आदर्श कर्मचारी के रूप में उससे सार्वजानिक व्यवहार की अपेक्षा की जाती है। विशेष रूप से कानून का पालन करने के संबंध में आपीलार्थी ने अपने उत्तर में खण्डन नहीं किया है कि उसके द्वारा अतिक्रमण नहीं किया गया है एवं न ही उपरोक्तानुसार किसी तथ्य का प्रमाणिक रूप से खण्डन किया है। जबकि विचारण न्यायालय ने जो उपरोक्तानुसार बहुतायत तथ्यों का उल्लेख किया है वह या तो राजस्व कर्मचारियों के द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन, पंचनामा के आधार पर है या फिर ग्राम पंचायत के प्रस्ताव में विशेष रूप से उल्लेख किये गये हैं। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी कोटवार के रूप से पद धारण करने हेतु पात्र नहीं है। उक्त स्थिति में विचारण न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनके आलोच्य आदेशों से जो निष्कर्ष दिये गये है वह युक्ति–युक्त होकर मान्य योग्य है। अतः उपरोक्त विवेचना के आलोक में अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी हरदा, जिला–हरदा द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.07.2017 विधि अनुरूप पारित होने से यथावत रखा जाता है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।"

4/ निगरानीकर्ता के द्वारा निगरानी आवेदन के साथ ऐसे किसी भी अभिलेख की प्रति प्रस्तुत नहीं की है जो आयुक्त के आदेश में वर्णित तथ्यों को खंडित करती हो। अतः निगरानी आवेदन प्रथम दृष्टया अग्राह्य किया जाता है एवं आयुक्त नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद का आदेश दिनांक 20.03.2018 यथावत रखा जाता है।

5/ प्रकरण दाखिल रिकॉर्ड हो। पक्षकार सूचित हो।

16.10.18

(आर.के. जैन)
सदस्य